भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2715
06.03.2020 को उत्तर के लिए

पश्चिम बंगाल में वन क्षेत्र

2715. श्री दिलीप घोष :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में कुल वन क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में वन क्षेत्र में कमी आ रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं इस कमी पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में वन भूमि के अन्यत्र उपयोग हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) वन आधारित स्वीकृत परियोजनाओं और जो केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य के लिए कितनी निधि आबंटित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) मंत्रालय के तहत एक संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून देश के वन आच्छादन का मूल्यांकन द्विवार्षिक रूप से करता है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में अपने निष्कर्ष प्रकाशित करता है। आईएसएफआर 2019 के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 11,879 वर्ग किलोमीटर (किमी^{2}) वन क्षेत्र अभिलिखित है। आईएसएफआर 2017 में संसूचित पिछले आकलन की तुलना में राज्य के अभिलिखित वन क्षेत्र में कोई गिरावट नहीं आई है। हालांकि, राज्य में वन आच्छादन क्षेत्र में पिछले आकलन की तुलना में 54.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) पिछले पाँच वर्षों में, मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन भूमि का उपयोग गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु करने के लिए अनुमोदन हेतु कुल 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने छह (6) मामलों में अंतिम और बारह (12) मामलों में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। शेष चार (4) मामले पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वापस कर दिए गए हैं। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल से कोई भी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मंत्रालय में लंबित नहीं है। विवरण **अनुबंध** में दिए गए हैं**।** गैर वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के मामलों में, प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधियों में प्रतिपूरक कर (लेवी) जमा किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) के दौरान तदर्थ सीएएमपीए द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को कुल 42.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

****

अनुबंध

'पश्चिम बंगाल में वन क्षेत्र' के संबंध में दिनांक 06.03.2020 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2715 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, विगत पांच वर्षों के दौरान गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग करने हेतु मंजूरी प्रदान करने से संबंधित भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अंतिम अनुमोदन		शेष प्रस्तावों की स्थिति (भारत सरकार के स्तर पर कोई लंबित नहीं)	
			संख्या	कुल अनुमोदित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सैद्धांतिक मंजूरी	पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लौटाए गए प्रस्ताव
1	2014-2015	**3**	2	26.98	1	0
2	2015-2016	**2**	1	12.288	0	1
3	2016-2017	**5**	0	0	4	1
4	2017-2018	**7**	3	106.363	3	1
5	2018-2019	**5**	0	0	4	1
कुल योग		**22**	**6**	**145.631**	**12**	**4**